कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म0प्र0

//निविदा आमंत्रण सूचना//

जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर में 21 नग स्पिलिट एवं 03 नग विण्डो ए.सी. के 05 वर्ष हेतु वार्षिक संधारण एवं मरम्मत (ए.एम.सी.) के संबंध में इच्छुक निर्माणकर्ता/कंपनी/प्रतिष्ठित विकेता/डीलर/पंजीकृत संस्था/प्रतिष्ठित अनुभवी योग्य फर्मो से सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदा संबंधी फार्म जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर में दिनांक 15.06.2020 को दोपहर 2.00 बजे तक आवक–जावक शाखा में जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 16.06.2020 को सांय 5.00 बजे निविदा समिति के समक्ष निविदाकर्ता/प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदायें जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के नाम से प्रस्तुत की जावेगी। निविदा की शर्तें एवं सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की बेवसाईट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय ग्वालियर की बेवसाईट www.districts.ecourts.gov.in/gwalior पर भी उपलब्ध है, जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्तें डाउनलोड की जा सकती हैं।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म0प्र0

:: ए.सी. के 05 वर्ष हेतु संधारण एवं मरम्मत (ए.एम.सी.) के संबंध में शर्तें ::

1. **अनुबंध की समयावधि**– यह अनुबंध स्वीकृति आदेश जारी होने की दिनांक से 05 वर्ष के लिये किया जावेगा। इस अनुबंध को 03 माह अग्रिम नोटिस देकर किसी भी पार्टी द्वारा समाप्त किया जा सकता है। विभाग बिना कोई कारण बताये अनुबंध समाप्त कर सकता है।

2. सभी उपकरणों को अनुबंध अवधि में कम से कम 03 बार चैक कर उनकी सर्विसिंग की जाएगी। प्रत्येक सर्विसिंग में निम्न कार्य सम्मिलित रहेगें :–

i. उपकरण के सामान्य क्रियाकलापों को चैक करना।

ii. कूलिंग टावर सम्पस (Cooling Tower Sumps), स्प्रे नोजल (Spray Nozels), इवोपरेटर्स (Evopaporaters), कन्डेन्सर कोइल्स (Condenser Coils) तथा फिल्टर्स (Filters) की यदि आवश्यकता हो तो सफाई करना।

iii. पट्टे (Belt) के तनाव (Tension)/एलाइमेन्ट (Alignment) को चैक करना तथा बोल्टों को कसना।

iv. पम्पों, मोटरों तथा पंखों की बीयरिंग्स (Bearings) में तेल डालना तथा विभिन्न उपकरणों यथा कम्प्रेशर, मोटर तथा स्टाटर्स तथा गीयर बॉक्स के तेल स्तर को चैक करना।

v. प्रशीतकों (Refregerants) की रिसन (Leaks) को चैक करना।

vi. प्रशीतक नियंत्रकों (Refregerations Controls) का निरीक्षण कर उन्हें एडजस्ट करना।

vii. सभी खराब/घिसे पिटे पुर्जों की (कम्प्रेशर सहित) निःशुल्क मरम्मत करना या उनकी जगह निःशुल्क नए पुर्जे लगाना।

viii. जब भी आवश्यक हो उपकरणों की निःशुल्क ओवर होलिंग (Over Hauling)/मरम्मत करना ।

ix. अनुबंध की अवधि में जब भी आवश्यक हो फिल्टर्स तथा कन्डेंसर्स की निःशुल्क बदलना तथा इवोपरेटर काइल्स की रसायन (Chemicals) से निःशुल्क सफाई करना।

x. वी–बैल्ट इत्यादि तेजी घिसने वाले पुर्जो को निःशुल्क बदलना।

xi. सामान्य घिसावट/टूट–फूट के परिणाम स्वरूप रिसने (Leak) होने पर प्रशीतक गैस (Refregerants Gas) तथा कम्प्रेशर के तेल की पूर्ति करना।

xii. स्थापित उपकरण की रंगाई (Painting) करना।

xiii- उपकरण में खराबी की सूचना मिलते ही उसे तत्काल दूर करना।

3. फर्म का इंजीनियर एक लॉगबुक का संधारण करेगा तथा उसमें विभाग द्वारा की गई समस्त शिकायतों को अभिलेखित किया जाएगा। इंजीनियर द्वारा छोटी–मोटी खराबी को तत्काल सुधार कर शिकायत दूर की जाएगी तथा टूट–फूट की स्थिति पुर्जे बदलना आवश्यक होने पर सुधार कार्य 02 दिवस के अंदर पूर्ण किया जाएगा।

4. **बयाने की राशि** – निविदा के साथ अलग लिफाफे (जिसके ऊपर "बयाने की राशि" लिखी हो) के बयाने की राशि रूपये 5000/– (रू. पॉच हजार रूपये) जोकि किसी राष्टीयकृत बैंक द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के पक्ष में जारी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होनी चाहिये, प्रस्तुत की जाएगी।

5. **जमानत की राशि** – अनुबंध की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि की किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के पक्ष में डीडी/बैंक गारंटी के रूप में जारी जमा रसीद जो कि कम से कम 15 माह के लिए वैध हो, निविदा स्वीकृति के 15 दिन के अंदर जमा करनी होगी। जमानत की राशि प्राप्त होने पर बयाने की राशि लौटा दी जाएगी। यदि फर्म संतोषप्रद सेवा प्रदाय नहीं करती है तो जमा रसीद का नकदीकरण कराकर जमानत की राशि राजसात की जा सकती है।

6. **दण्ड अधिरोपण** – यदि दूरभाष पर सूचना मिलने के 02 दिवस के अंदर शिकायत दूर नहीं की जाती है तो रूपये 100/– प्रतिदिन प्रति उपकरण के मान से शिकायत दूर होने के दिनांक तक दण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

7. **भुगतान** – संतोषप्रद सेवा प्रदान करने पर तिमाही भुगतान ई–पेमेन्ट के माध्यम किया जाएगा। यदि कोई दण्ड अधिरोपित किया गया हो तो तिमाही भुगतान की राशि में से दण्ड की राशि काटकर भुगतान किया जाएगा।

8. **वित्तीय/तकनीकी लिफाफे** – निविदाकर्ता प्रथक–प्रथक वित्तीय, तकनीकी एवं ई.एम.डी. की राशि वाले लिफाफे तैयार कर उनपर वित्तीय, तकनीकी विड, ई.एम.डी. लेख करते हुए उक्त तीनों लिफाफों को चौथे लिफाफे में मुहरबंद कर निविदा प्रस्तुत की जाएगी।

9. किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर को संदर्भित किया जा सकेगा, उनके द्वारा दिया गया निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा ।

10. उक्त निविदा फार्म 250 रूपये नगद/डी.डी. जमा कर जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय ग्वालियर से प्राप्त किया जा सकता है एवं निविदा फार्म जमा करते समय उक्त डीडी/नगद जमा की रसीद लगाना आवश्यक है, बिना डीडी/नगद जमा की रसीद के प्राप्त निविदा फार्म पर विचार नहीं किया जावेगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पता :–

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म0प्र0

निविदा कार्यक्रम

1	निविदा फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख, समय एवं स्थान	दिनांक 15.06.2020 को दोपहर 2.00 बजे तक जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर की आवक–जावक शाखा
2	निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय विड खोले जाने की दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 16.06.2020 को सांय 5.00 बजे जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर

वित्तीय विड का प्रारूप

स. क.	उपकरण का विवरण	नग संख्या	निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रति ए.सी. पर अनुरक्षण व्यय राशि कर रहित	नविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रति ए.सी. पर अनुरक्षण व्यय राशि समस्त कर सहित	कुल राशि समस्त कर सहित
1	स्पिलिट ए.सी.	21			
2	विण्डो ए.सी.	3			

तकनीकी विड में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज

कमांक	दस्तावेजों का विवरण	रिमार्क
1	वित्तीय, तकनीकी विड एवं ई.एम.डी. के अलग–अलग लिफाफे	
2	ई.एम.डी. राशि 5000/–	
3	पेन नंबर	
4	अंतिम 03 वर्ष आयकर विवरणी	
5	टर्नओवर विवरण	
6	जीएसटी रजिस्ट्रेशन	
7	कंपनी प्रोफाईल	
8	विगत 03 वर्ष के अनुभव दस्तावेज	
9	निविदा की शर्तों की स्वीकारोक्ति	

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पता :–